



सिंकंदराबाद

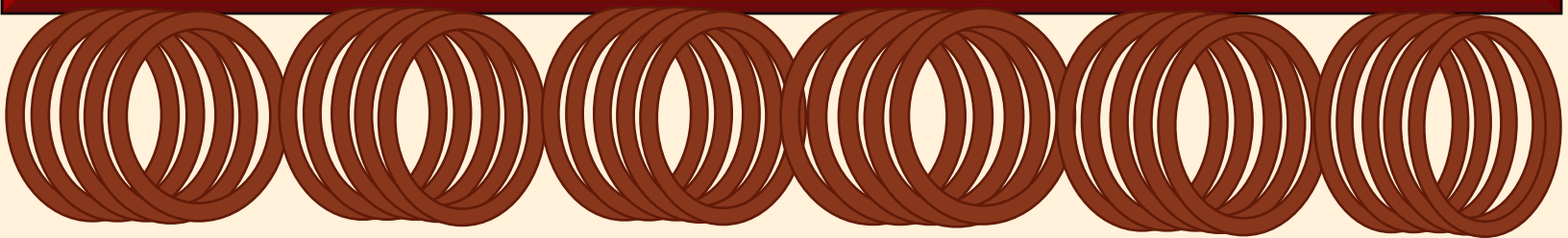
त्रैमासिक ई-पत्रिका (मार्च-2026 – मई-2026) अंक-VIII



राजभाषा विभाग



सिंकंदराबाद मंडल



संरक्षक

श्री आर.गोपाल कृष्णन,
मंडल रेल प्रबंधक
एवं
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी



संपादक

श्री एम.के.नागराजु
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी



सहयोग

श्री प्रणय कुमार सिंह,
कनिष्ठ अनुवादक



संपादकीय संपर्क

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी,
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
सिकंदराबाद, (द.म.रे),
500003
दूरभाष: 88112
ई.मेल: srascrsc@gmail.com



मंडल रेल प्रबंधक का संदेश



यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सिकंदराबाद मंडल का राजभाषा विभाग हिंदी में नियमित रूप से “सिकंदराबाद दर्पण” त्रैमासिक ई-पत्रिका का विमोचन कर रहा है.

यह पत्रिका राजभाषा के अतिरिक्त मंडल पर विभिन्न विभागों की गतिविधियों की सूचनाओं का माध्यम है. इस पत्रिका को सुसज्जित करने वाले सभी संपादक मंडल सदस्यों, लेखकों एवं सहयोगियों को उनके सतत प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं.

आशा है कि त्रैमासिक ई-पत्रिका का यह अंक आपको प्रेरणा देगा तथा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा.

मैं इस पत्रिका की सफल प्रकाशन की कामना करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

(श्री आर. गोपाल कृष्णन)
मंडल रेल प्रबंधक एवं
अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादकीय

संपादक के कलम से



प्रिय रेलकर्मियों,

सिकंदराबाद मंडल द्वारा प्रकाशित “सिकंदराबाद दर्पण” ई-पत्रिका का 8 वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है. हमारा सदैव प्रयास है कि “सिकंदराबाद दर्पण” का प्रत्येक अंक सुधी पाठकों की अपेक्षा व आकांक्षाओं पर खरा उतरे.

इस विभागीय राजभाषा पत्रिका को प्रकाशित करने का उद्देश्य रेलवे में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों के बीच लेखन प्रतिभा को उजागर करना है. जिससे राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रेल कार्यालयों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जा सके.

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन व अनुपालन प्रभावी रूप से हो, इसका एक मात्र उपाय है कि रेल कर्मियों के हृदय में राजभाषा के प्रति लगाव, निष्ठा और प्रेम का भाव जाग्रत किया जाए ताकि स्वभाविक रूप से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें. राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य राजभाषा विभाग के प्रमुख दायित्वों में से एक है. इसका मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीतियों के अनुरूप सरकारी कामकाज हिंदी में करना तथा गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है.

हमारा प्रयास रहा है कि सामग्री सरल, बोधगम्य और प्रेरणादायक हो, ताकि पाठक सहजता से राजभाषा नीति के विभिन्न आयामों को समझ सकें. पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं उन सभी लेखकों और सहकर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं और सुझावों के माध्यम से इस अंक को समृद्ध बनाया है. अंत में, मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि हम अपनी कार्य-संस्कृति में हिंदी को स्वाभाविक रूप से अपनाएं और इसे केवल एक भाषा नहीं, बल्कि संवाद के सेतु के रूप में प्रतिष्ठित करें.

हम अपने रचनाकारों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा.

शुभकामनाओं सहित,

श्री एम.के.नागराजु
उप महाप्रबंधक(राजभाषा)/सिकंदराबाद

अनुक्रमणिका

क्र.सं	शीर्षक	लेखक / कवि	पृष्ठ
1	राजभाषा के विकास में हिंदी कार्यशाला का महत्व	श्री एम.के.नागराजु उप महाप्रबंधक(राजभाषा)/ सिकंदराबाद	1
2	आत्म-संयम	श्री प्रणय कुमार सिंह कनिष्ठ अनुवादक/ सिकंदराबाद	6
3	मुझे अच्छे लगते है	सी.एच सूर्यनारायण आरएस-II/वमंवाप्र/का/सिकं.	11
4	“एक माँ का संघर्ष”	वी.निर्मला वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद	12
5	मैं और मेरा व्यक्तित्व आपके व्यवहार पर निर्भर करता है	अनिकेत कुमार आशुलिपिक/वमंसिवदूइंजी/सिकं.	13
6	नमन है तुमको	अंजना शर्मा कनिष्ठ लिपिक , वमंसिवदूइंजी/का /सिकंदराबाद	14
7	पंछियों से सीखा जाए	जितेन्द्र कुमार, तक -1 वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद	15
8	लघुकथा: “अहंकार”	जितेन्द्र कुमार, तक -1 वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद	16
9	उम्मीदों के हार पिरोकर मैं स्वयं गले पहनाऊँ	अजय कुमार पाण्डेय वरि.यात्री गाड़ी प्रबंधक/सिकंदराबाद	17
10	मेरा घरौंदा	दुष्येंद्रजीत टीएम-III / वसेइंजी/का/सिरपुरकागजनगर	18
11	सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां		20
12	राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां		26

राजभाषा के विकास में हिंदी कार्यशाला का महत्व

© श्री एम.के.नागराजु

उप महाप्रबंधक(राजभाषा) / सिकंदराबाद

प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो व्यापक जनसमूह द्वारा समझी और बोली जा सके। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी का उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज की भाषा बनना नहीं है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद को सरल, सहज और प्रभावी बनाना भी है।

यद्यपि हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन और विकास के सामने अनेक चुनौतियाँ रही हैं। सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व, तकनीकी शब्दावली की जटिलता, कर्मचारियों में हिंदी के प्रति संकोच तथा प्रशिक्षण के अभाव जैसी समस्याओं ने हिंदी के व्यापक प्रयोग को प्रभावित किया है। इन चुनौतियों का समाधान करने में हिंदी कार्यशालाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हिंदी कार्यशालाएँ केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि वे कर्मचारियों और अधिकारियों में हिंदी के प्रति आत्मविश्वास, दक्षता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार, अनुवाद, तकनीकी लेखन तथा कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को गति मिलती है तथा हिंदी के विकास को नया आयाम प्राप्त होता है।

राजभाषा हिंदी का महत्व

राजभाषा किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का उद्देश्य प्रशासन को जनता के निकट लाना तथा सरकारी कार्यों को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना था। हिंदी देश के बड़े भूभाग में बोली और समझी जाती है। इसलिए इसके माध्यम से शासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है।

राजभाषा हिंदी का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होता है—

- प्रशासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम।
- राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने वाली भाषा।
- सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाने का प्रभावी साधन।
- भारतीय संस्कृति और परंपरा की वाहक भाषा।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम।

राजभाषा हिंदी के इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने की पर्याप्त दक्षता प्राप्त हो। यही कार्य हिंदी कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक करती हैं।

हिंदी कार्यशाला का अर्थ और स्वरूप

हिंदी कार्यशाला एक संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उनकी भाषायी दक्षता का विकास करना होता है। इन कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बीमा संस्थानों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में समय-समय पर किया जाता है।

हिंदी कार्यशालाओं में सामान्यतः निम्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है—

- हिंदी में टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन.
- सरकारी पत्राचार.
- कार्यालयीन हिंदी.
- राजभाषा अधिनियम और नियम.
- हिंदी टंकण एवं कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग.
- हिंदी यूनिकोड का उपयोग.
- अनुवाद संबंधी तकनीक.
- प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली.
- ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग.
- हिंदी में ई-मेल और डिजिटल संप्रेषण.

इन कार्यशालाओं का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास कराकर हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना भी होता है।

राजभाषा के विकास में हिंदी कार्यशालाओं की भूमिका:

1. हिंदी के प्रति जागरूकता का विकास

कई कर्मचारी हिंदी में कार्य करने की आवश्यकता और महत्व से पूर्णतः परिचित नहीं होते। हिंदी कार्यशालाएँ उन्हें राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधानों तथा हिंदी के महत्व से अवगत कराती हैं। इससे कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

जब किसी कर्मचारी को यह ज्ञात होता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व का भी हिस्सा है, तब वह इसके प्रयोग के प्रति अधिक गंभीर होता है। इस प्रकार कार्यशालाएँ हिंदी के प्रति मानसिक बाधाओं को दूर करने का कार्य करती हैं।

2. हिंदी में कार्य करने की दक्षता का विकास

कई अधिकारी और कर्मचारी हिंदी जानते तो हैं, परंतु कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें सरकारी पत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, टिप्पणी, प्रतिवेदन आदि तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नियमित अभ्यास से उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है तथा वे हिंदी में कार्य करने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इससे कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है।

3. राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न निर्देश जारी किए जाते हैं। इनका सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब कर्मचारियों को इनके बारे में उचित जानकारी हो।

हिंदी कार्यशालाएँ कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा विभिन्न सरकारी आदेशों की जानकारी प्रदान करती हैं। इससे वे अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

4. हिंदी में प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा

कार्यशालाओं में कार्यालयीन हिंदी के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। प्रतिभागियों को वास्तविक दस्तावेजों के उदाहरणों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पत्राचार, रिपोर्ट लेखन तथा अन्य प्रशासनिक कार्य हिंदी में होने लगते हैं। इससे राजभाषा हिंदी का वास्तविक विकास संभव होता है।

5. अनुवाद संबंधी समस्याओं का समाधान

सरकारी कार्यालयों में द्विभाषिक कार्यप्रणाली के कारण अनुवाद की आवश्यकता बनी रहती है। कई बार शब्दों और वाक्यों के उचित हिंदी रूपों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

हिंदी कार्यशालाओं में अनुवाद की तकनीकों, मानक शब्दावली और व्यवहारिक उदाहरणों पर चर्चा की जाती है। इससे अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार होता है और भाषा अधिक प्रभावी बनती है।

6. तकनीकी एवं वैज्ञानिक हिंदी का प्रसार

वर्तमान युग विज्ञान, तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे में हिंदी का विकास तभी संभव है जब उसका प्रयोग तकनीकी क्षेत्रों में भी बढ़े। हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों को तकनीकी शब्दावली, कंप्यूटर संबंधी हिंदी शब्दों तथा डिजिटल माध्यमों में हिंदी के उपयोग की जानकारी दी जाती है। इससे हिंदी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में विकसित होती है।

7. कंप्यूटर और डिजिटल हिंदी को बढ़ावा

डिजिटल युग में अधिकांश सरकारी कार्य कंप्यूटर आधारित हो चुके हैं। यदि कर्मचारी हिंदी टंकण और यूनिकोड प्रणाली से परिचित नहीं होंगे तो हिंदी का प्रयोग सीमित रह जाएगा। हिंदी कार्यशालाओं में यूनिकोड, हिंदी सॉफ्टवेयर, हिंदी ई-मेल, ई-ऑफिस तथा ऑनलाइन कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे डिजिटल मंचों पर हिंदी का उपयोग बढ़ता है।

8. कर्मचारियों में आत्मविश्वास का निर्माण

कई कर्मचारी हिंदी में कार्य करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें भाषा संबंधी त्रुटियों का भय रहता है. कार्यशालाएं इस संकोच को दूर करती हैं और कर्मचारियों में आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं. व्यावहारिक अभ्यास और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से प्रतिभागी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं. यह आत्मविश्वास राजभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

9. हिंदी के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण

किसी भी भाषा का विकास केवल नियमों और आदेशों से नहीं हो सकता. इसके लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक है. हिंदी कार्यशालाएं कार्यालयों में हिंदी के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करती हैं. जब अधिकारी और कर्मचारी मिलकर हिंदी में कार्य करने का प्रयास करते हैं, तब कार्यालय का वातावरण हिंदीमय बनता है और भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ता है.

10. राजभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति

प्रत्येक सरकारी कार्यालय के लिए राजभाषा संबंधी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं. इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हिंदी कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं, जिससे कार्यालयों का राजभाषा प्रदर्शन सुधरता है और हिंदी के विकास को गति मिलती है.

हिंदी कार्यशालाओं की उपयोगिता

हिंदी कार्यशालाओं की उपयोगिता अनेक स्तरों पर दिखाई देती है—

- कर्मचारियों की भाषायी क्षमता में वृद्धि.
- कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का बढ़ता प्रयोग.
- राजभाषा नीति के प्रति जागरूकता.
- अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार.
- डिजिटल हिंदी को प्रोत्साहन.
- प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि.
- जनसंपर्क को सुदृढ़ बनाना.
- राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना.

इन कार्यशालाओं के कारण हिंदी केवल औपचारिक भाषा न रहकर व्यवहारिक और कार्यशील भाषा के रूप में स्थापित होती है.

हिंदी कार्यशालाओं के समक्ष चुनौतियां;

यद्यपि हिंदी कार्यशालाएँ अत्यंत उपयोगी हैं, फिर भी इनके समक्ष कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं—

1. कई कर्मचारियों की सीमित रुचि.
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनियमित आयोजन.
3. कार्यशालाओं के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव.
4. तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की कमी.
5. अंग्रेज़ी के प्रति अत्यधिक निर्भरता.
6. हिंदी संसाधनों की सीमित उपलब्धता.
7. व्यस्त कार्यालयीन कार्यों के कारण प्रशिक्षण के लिए समय की कमी.

इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक है ताकि हिंदी कार्यशालाओं का प्रभाव अधिक व्यापक और स्थायी बन सके.

हिंदी कार्यशालाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय:

1. कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाए.
2. प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण बनाया जाए.
3. आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों का समावेश किया जाए.
4. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाए.
5. ऑनलाइन हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ.
6. विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
7. कार्यशाला के बाद मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यक्रम आयोजित किए जाए.
8. कार्यालयों में हिंदी के उपयोग हेतु अनुकूल वातावरण बनाया जाए.
9. ई-लर्निंग मॉड्यूल और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए.
10. अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए.

निष्कर्ष:-

राजभाषा हिंदी का विकास केवल संवैधानिक प्रावधानों या सरकारी निर्देशों के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी, प्रशिक्षण तथा सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। हिंदी कार्यशालाएँ इस दिशा में अत्यंत प्रभावी साधन सिद्ध हुई हैं। ये कार्यशालाएँ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की दक्षता प्रदान करती हैं, राजभाषा नीति के प्रति जागरूक बनाती हैं तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देती हैं। आज जब भारत डिजिटल शासन और ज्ञान-आधारित समाज की ओर अग्रसर है, तब हिंदी कार्यशालाओं का महत्व और भी बढ़ गया है। ये कार्यशालाएँ हिंदी को आधुनिक तकनीक, प्रशासन और संचार के साथ जोड़कर उसे एक सशक्त, सक्षम और समकालीन राजभाषा के रूप में स्थापित करने में योगदान दे रही हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी कार्यशालाएँ राजभाषा हिंदी के विकास की आधारशिला हैं। इनके माध्यम से न केवल सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता है, बल्कि हिंदी को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य भी संपन्न होता है। यदि इन कार्यशालाओं को और अधिक प्रभावी, नियमित तथा परिणामोन्मुख बनाया जाए, तो राजभाषा हिंदी का भविष्य और अधिक उज्ज्वल तथा सशक्त होगा।

आत्म-सामंजस्य

© प्रणय कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक, सिकंदराबाद मंडल

प्रस्तावना

मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों, इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और संतोष प्राप्त करना चाहता है। किंतु इन सभी उपलब्धियों का आधार केवल बाहरी संसाधन या परिस्थितियां नहीं होतीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर का संतुलन और सामंजस्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब मनुष्य के विचार, भावनाएं, व्यवहार और लक्ष्य एक-दूसरे के अनुरूप होते हैं, तब वह आत्म-सामंजस्य की अवस्था को प्राप्त करता है। आत्म-सामंजस्य जीवन को सरल, सुखद और सार्थक बनाता है।

आत्म-सामंजस्य का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, भावनाओं और कर्मों के बीच संतुलन स्थापित करना। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करता है तथा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। आत्म-सामंजस्य केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संबंधों और आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार है।

आज के आधुनिक युग में, जहाँ प्रतिस्पर्धा, तनाव और भौतिकवाद का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है, वहाँ आत्म-सामंजस्य का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यदि व्यक्ति अपने भीतर सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहजता से कर सकता है।

आत्म-सामंजस्य का अर्थ

आत्म-सामंजस्य दो शब्दों से मिलकर बना है—‘आत्म’ अर्थात् स्वयं और ‘सामंजस्य’ अर्थात् संतुलन या मेल। इस प्रकार आत्म-सामंजस्य का अर्थ है स्वयं के भीतर संतुलन और एकता स्थापित करना है जब व्यक्ति के विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कार्य एक-दूसरे के अनुरूप होते हैं, तब आत्म-सामंजस्य उत्पन्न होता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी को अपना आदर्श मानता है और अपने व्यवहार में भी ईमानदारी का पालन करता है, तो उसके भीतर सामंजस्य बना रहता है। इसके विपरीत यदि उसके विचार और कर्म में अंतर हो, तो उसके भीतर तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है।

आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का आधार है।

आत्म-सामंजस्य की आवश्यकता

मानव जीवन में आत्म-सामंजस्य की आवश्यकता कई कारणों से है। आज मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाता। परिणामस्वरूप उसे मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करना पड़ता है।

आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। यह उसे सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्म-सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और उसका जीवन भ्रम एवं अस्थिरता से भर जाता है।

इसलिए जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म-सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है।

मानसिक शांति का आधार

आत्म-सामंजस्य का सबसे बड़ा लाभ मानसिक शांति है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब उसका मन शांत रहता है। मानसिक शांति के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर सकता।

आज अधिकांश लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण उनके भीतर का असंतुलन है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है।

मानसिक शांति व्यक्ति को सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सुखमय बनाती है।

व्यक्तित्व विकास में आत्म-सामंजस्य की भूमिका

आत्म-सामंजस्य व्यक्तित्व विकास का मूल आधार है। एक संतुलित व्यक्ति अपने गुणों और कमजोरियों दोनों को पहचानता है। वह अपनी कमियों को सुधारने और गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है।

आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है। आत्मविश्वास के कारण वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है।

महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों के जीवन में आत्म-सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों में एकरूपता बनाए रखी, जिसके कारण वे समाज के लिए प्रेरणा बने।

निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि

जीवन में प्रतिदिन अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। सही निर्णय सफलता की ओर ले जाता है, जबकि गलत निर्णय समस्याओं को जन्म देता है। आत्म-सामंजस्य व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है।

जब मन और बुद्धि में संतुलन होता है, तब व्यक्ति परिस्थितियों का सही मूल्यांकन कर पाता है. वह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि विवेक और तर्क के आधार पर निर्णय करता है.

इस प्रकार आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर सही मार्ग चुनने में सहायता करता है।

सामाजिक संबंधों में महत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन दूसरों के साथ संबंधों पर आधारित होता है. अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं के साथ संतुलित हो.

जो व्यक्ति आत्म-सामंजस्य से युक्त होता है, वह दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है। वह क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखता है. परिणामस्वरूप उसके संबंध मधुर और स्थायी होते हैं.

परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने में आत्म-सामंजस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सफलता केवल प्रतिभा या परिश्रम का परिणाम नहीं होती, बल्कि मानसिक संतुलन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है.

जब व्यक्ति के भीतर स्पष्टता और संतुलन होता है, तब वह अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है. वह असफलताओं से निराश नहीं होता और निरंतर प्रयास करता रहता है.

इसी कारण आत्म-सामंजस्य सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है.

तनाव प्रबंधन में उपयोगी

आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है. कार्य का दबाव, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक जिम्मेदारियां व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं.

आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को तनाव का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है. वह परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है.

ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसी गतिविधियां आत्म-सामंजस्य को बढ़ाने में सहायक होती हैं और तनाव को कम करती हैं.

नैतिक मूल्यों का विकास

आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाता है. जब व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है, तब वह सत्य, ईमानदारी, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करता है.

नैतिक मूल्यों का विकास केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लाभदायक होता है। आत्म-सामंजस्य से युक्त व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है।

आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग

आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना है। आत्म-सामंजस्य इस दिशा में पहला कदम है।

जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित करता है, तब वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। भारतीय दर्शन और उपनिषदों में आत्म-सामंजस्य को आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना गया है।

भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्म-संतुलन प्राप्त करने का संदेश दिया है। आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद और आंतरिक संतोष प्रदान करता है।

आत्म-सामंजस्य प्राप्त करने के उपाय

आत्म-सामंजस्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और प्रयास द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी हैं—

1. आत्मचिंतन

प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। इससे अपनी कमियों और गुणों की पहचान होती है।

2. ध्यान और योग

ध्यान एवं योग मन को शांत और एकाग्र बनाते हैं। ये आत्म-सामंजस्य प्राप्त करने के प्रभावी साधन हैं।

3. सकारात्मक सोच

नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

4. समय प्रबंधन

समय का उचित उपयोग जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

5. आत्मस्वीकृति

अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

6. नैतिक जीवन

सत्य, ईमानदारी और करुणा जैसे मूल्यों का पालन आत्म-सामंजस्य को मजबूत बनाता है।

7. संतुलित जीवनशैली

स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं।

आधुनिक जीवन और आत्म-सामंजस्य

आज का युग तकनीकी प्रगति और भौतिक सुविधाओं का युग है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव और अकेलेपन की समस्याएँ भी बढ़ाई हैं।

लोग दूसरों से तुलना करने लगे हैं और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को भूलते जा रहे हैं। इस स्थिति में आत्म-सामंजस्य व्यक्ति को वास्तविक खुशी और संतोष का मार्ग दिखाता है।

आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म-सामंजस्य एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

निष्कर्ष:-

निष्कर्षतः आत्म-सामंजस्य मानव जीवन की सफलता, शांति और संतोष का आधार है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कर्मों के बीच संतुलन स्थापित करता है। आत्म-सामंजस्य मानसिक शांति, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संबंधों की मधुरता, नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक युग में आत्म-सामंजस्य का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यदि व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर ले, तो वह जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकता है और वास्तविक सुख एवं सफलता प्राप्त कर सकता है।

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिंतन, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से आत्म-सामंजस्य विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आत्म-सामंजस्य न केवल व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही आत्म-सामंजस्य का वास्तविक महत्व है।

मुझे अच्छे लगते हैं

© सीएच. सूर्यनारायणा
आरएस-II/वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद

माँ की ममता,
पिता की गंभीरता,
देशभक्ति की कविता,
मुझे अच्छे लगते हैं।

बचपन की वह पाठशाला,
मंदिर की आरती की ज्वाला,
माँ के हाथों की खीर का प्याला,
मुझे अच्छे लगते हैं।

मित्रों के संग बीता कौमार्य,
अच्छेबुरे का ज्ञान देते आचार्य-
अन्नदाता कृषक का औदार्य,
मुझे अच्छे लगते हैं।

कोयल की मधुर बोली,
खेतों की हरियाली,
होली, दशहरा और दीवाली,
मुझे अच्छे लगते हैं।

झरझर बहते झरनों में तैरना-
सावन के झूलों में झूलना,
प्रकृति की गोद में खेलना,
मुझे अच्छे लगते हैं।

मंदिर की घंटियों की ध्वनि,
बरसात में भीगी अवनि,
चंचल नयनों वाली सजनी,
मुझे अच्छे लगते हैं।

सूरज की पहली किरण,
कुलाँचे भरता हुआ हिरण,
सियापति रामचंद्र का स्मरण,
मुझे अच्छे लगते हैं।
उत्तर में ऊँची पर्वतश्रृंखलाएँ-
पश्चिम में सागर तट की बलुआई-भूमियाँ,
पूरब में गंगाब्रह्मपुत्र की घाटियाँ-
मुझे अच्छे लगते हैं।
दक्षिण में विस्तृत वारिधि,
काशी विश्वेश्वर का सान्निध्य,
और भारत, जो इन सबका अनुपम निधि,
मुझे अच्छे लगते हैं।

एक माँ का संघर्ष

© श्री. निर्मला
वाणिज्य पर्यवेक्षक
वमंवाप्र/का/सिकंदराबाद

“खुद कांटों पर चलकर बच्चों को फूलों की राह दिखाया है,
अपने आँसुओं को छुपाकर उन्हें हँसना सिखाया है,
कई रातों को जागकर उनके लिए सपना सजाया है,
टूटे सपनों के टुकड़ों से नई उम्मीद सजाया है.

धूप में जलती, ठंड में सिकुड़ती, बारिश में भीगी, हर दुख सहती,
अपने दर्द को दिल में छुपाकर, उनके लिए मरहम बनाया है.

बोझ उठाते-उठाते कभी थक कर रुक भी जाती, उनकी यादों से हमेशा आगे कदम बढ़ाया है.
अपने बच्चों के सुनहरे कल को दिन-रात मां ने सजाया है. आज दुनिया में जब हम नाम कमाएंगे,
दुनियां मां के त्याग और तपस्या को झुक कर शीश झुकाएंगे.
सच है कि इस दुनिया में माँ का रिश्ता है अनमोल,
जो खुद दीपक बन कर जलती है, बच्चों का सारा जीवन रौशन कर देती है,”

मैं और मेरा व्यक्तित्व आपके व्यवहार पर निर्भर करता है

© अनिकेत कुमार, आशुलिपिक
वमंसिवदूँजी/सम/सिकंदराबाद

मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों, संस्कारों, अनुभवों और सामाजिक वातावरण का परिणाम होता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग तथा उनके साथ होने वाले व्यवहार का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि "मैं और मेरा व्यक्तित्व आपके व्यवहार पर निर्भर करता है।"

जब कोई व्यक्ति हमारे साथ प्रेम, सम्मान, सहयोग और विश्वास का व्यवहार करता है, तो हमारे अंदर भी वही भावनाएँ विकसित होती हैं। हम अधिक आत्मविश्वासी, खुशमिजाज और सकारात्मक बनते हैं। ऐसे वातावरण में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर पाता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभाता है।

दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति को बार-बार अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार या कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो उसके मन में निराशा, क्रोध और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार पर दिखाई देता है। कई बार व्यक्ति दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा व्यवहार उसके साथ किया गया हो।

हालाँकि, एक आदर्श व्यक्तित्व वही माना जाता है जो परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने के बावजूद अपने मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखे। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों का व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारे निर्णय और चरित्र अंततः हमारे अपने हाथ में होते हैं।

समाज में सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम एक-दूसरे के साथ विनम्रता, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार न केवल संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि एक स्वस्थ और सकारात्मक समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता है। अच्छा व्यवहार व्यक्ति को प्रेरित करता है, जबकि बुरा व्यवहार उसके मनोबल को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें सदैव ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक बने और समाज में प्रेम, सम्मान तथा सद्भावना को बढ़ावा दे।

नमन है तुमको

अंजना शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
वमंसिवदूङ्जी/का/ सिकंदराबाद

तुम्हारी हर कुर्बानी की दुनिया ऋणी है,
दूसरों का घर संवारने के लिए
तुम अपना आँगन छोड़कर आती हो।
महबूब के रूप में जीवन को हसीन बनाती हो॥

नमन है, हे नारी शक्ति।
कन्या रूप में जब तुम हमारे घर आती हो,
बेटी के रूप में हम साक्षात देवी को पाते हैं।
जीवन धन्य हो जाता है
जब तुम्हारे चारों रूप हमें प्राप्त होते हैं॥

नमन है, हे नारी शक्ति।
राष्ट्र की स्वाभिमान हो तुम,
त्याग से भरा है तुम्हारा जीवन।
तुम समाज की आधारशिला हो,
तुम बिन अधूरी है हमारी सृष्टि।
नमन है, हे नारी शक्ति॥

पंछियों से सीखा जाए

जितेन्द्र कुमार, तक -1

वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद

बुद्धि और भावनाओं में
सृष्टि के सर्वोच्च
शिखर पर बैठे
हम मनुष्यों में
मैं, तुम और हम
जैसे शब्दों के
प्रतिध्वनि
मस्तिष्क में
बारबार -
बिजली की तरह
दौड़ती रहती है

हमने तो प्राकृति के
सर्वोत्तम उपहार
रंगों को, फूलों को,
फलों को
तारों, नक्षत्रों, ग्रहों
नदियों, पर्वतों
अनाजों, जानवरों
कला, भाषाओं
कपड़ों, डिजाइनों
बालों, चालचलन -
बोलियां तक को
परिभाषित कर रखा है

और इस मानव रचित
परिभाषाओं के
मकड़जाल में
उलझ कर
हर रोज़

किसी मकड़ी की मौत होती है
हैरानी की बात
तो यह है कि
हम यह जानते हुए कि
ये जाले इंसानियत के
दुश्मन हैं,
हम बुनते हीं रहते हैं

कभी तुम भी,
हम भी
बल्कि सारे लोग आएंगे
मैदानों में, जंगलों में
नदियों के किनारे
समंदर के तीरों पर
पर्वतों की ऊंचाइयों पर
घाटियों में
और सिर्फ़ एक दफा
अपने हृदय को
खोल दें
मन को स्वच्छंद
असीम, अनंत आकाश में
उड़ने दें
धड़कनों को
बे रोकटोक -
धड़कने दें
आंखों पर चढ़े
रंग बिरंगे पर्दों को
कहीं दूर फेंक दें

अपने मन को एकाग्र कर
इस नील गगन में
विचरण करते
पंछियों को देखो
जो हमारी सारी
परंपराओं से अछूते हैं
कभी मंदिरों के
मुंडेरो पर बैठकर
बिखरे प्रसाद को
चुगते हैं
तो कभी
मस्जिदों की मीनारों पर बैठ
कलरव करते हैं
कभी गिरजाघरों की छतों पर
फुदकते हैं
तो कभी गुरुद्वारों की
अट्टालिकाओं पर बैठ
इतराते भी हैं

उन्हें इन बातों से
तनिक मतलब नहीं कि
कौन किसका घर है
वे तो
घृणा, द्वेष, मतभेद
जाती, धर्म, संप्रदाय, रंग
सभी से ऊपर हैं
तो फिर क्यों न
पंछियों से सीखा जाए.

लघुकथा: “अहंकार”

जितेन्द्र कुमार, तक -1

वसेइंजी/विद्युत/अनु/का/हैदराबाद

जब रामेश्वर सिंह गाड़ी पर चलने लगे थे तो ड्राइवर रामू से कहा था --- स्साले लोगों को उसी समय हमसे जरूरत पड़ जाती है जब मुझे शुभ काम में जाना रहता है। बुआ ने बारह बजे तक जरूर से जरूर पहुंच जाने के लिए कहा था कि दिन के डेढ़ ही बजे तक लग्न है और बारह यहीं बज गए। खैर, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, ताकि समय से पहुंच जाऊं।

रामू वैसे भी रामेश्वर सिंह से काफी डरता है। इसलिए कि थोड़ी सी गलती हो जाने पर गाली गलौज करने लगते थे। फिर भी रामू यह सोचकर रहता था कि पैसे देने में कम से कम किचिर किचिर तो नहीं करते हैं।

रामू ने गाड़ी की रफ्तार इसलिए भी तेज कर दी थी कि अगर समय पर नहीं पहुंचे, तो सारे दोष मुझ पर मढ़ देंगे। खरी खोटी सुनायेंगे, वह अलग।

पर संयोग ऐसा बिगड़ा कि एक तीखे मोड़ पर गाड़ी धीमी कर दी थी जबकि पीछे से तेज रफ्तार से आती ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि रामू तो सामान्य घायल होकर रह गया था, जबकि रामेश्वर सिंह पूरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहे थे। रामू ने 112 पर तत्काल डायल किया था, तो ऐन मौके पर पुलिस भी पहुंच गयी थी और अस्पताल में भर्ती भी करवा दी थी। पर रामेश्वर सिंह को तत्क्षण खून की जरूरत थी। रामू ने खुद खून देने के लिए तैयार था। संयोग से ग्रुप भी एक ही था।

तब तक सूचना पाकर परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंच चुके थे। रामेश्वर सिंह मिलने के लिए बेताब थे। और रामू प्रतीक्षा कक्ष में मालिक के लिए मन ही मन दुआ मांग रहा था।

जब रामेश्वर सिंह को होश हुए, तो सभी परिवार मिल रहे थे और डाक्टर साहब को बधाई दे रहे थे। इसपर डाक्टर ने कहा था --- बधाई का पात्र मैं नहीं, इनका ड्राइवर है। अगर वह तत्काल खून न देता, तो शायद ये जिंदा न दिखते। यह सुनते ही रामेश्वर सिंह का अहंकार चूर हो गया था।

उम्मीदों के हार पिरोकर मैं स्वयं गले पहनाऊँ

✍ अजय कुमार पाण्डेय

मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर /सिकंदराबाद

मन के सूने नील गगन में मधु प्यालों के मधुर मिलन में
भावों के हर चपल लहर में नवल नेह के नवल नगर में
नवल नेह के मोती चुनकर मैं नेह सेज पर बिखराऊँ।

नवल निशा में छवि मतवाली मृदुल कपोलों से चुन लाली
ललित लता के मधुर कुंज में मंद पवन के सुखद पुंज में
कलित क्रोण के अंतर्मन से मैं खुद से ही नेह लगाऊँ।

पल-पल साँझ पिघलती जाती जीवन नौका चलती जाती
कुछ कहती कुछ सुनती जाती अविरल धारा बहती जाती
ढली साँझ के सुरमित पल में मैं मधुर गीत कोई गाऊँ।

क्षणभंगुर काया की माया, जैसे ढली धूप की छाया
आना जाना खेल जगत का बन कर के निज रूप भगत का
अपने ही मन के मधुवन में मैं बंसी की धुन सुन पाऊँ।

जैसे भी हो वैसे आओ अपने गीतों से बहलाओ
बिन सपनों की कैसी माला तुम से ही मन का उजियाला
अपने में तुम मुझको पाओ अपने में मैं तुमको पाऊँ।
उम्मीदों के हार पिरोकर मैं स्वयं गले पहनाऊँ।

मेरा घरौंदा

दुष्येंद्रजीत, टीएम-III / सिरपुरकागजनगर

एक आशियाना जहां बसता है मेरा अतीत, मेरा आज और मेरे सपने।

यहां रहते हैं मेरे बच्चे, हमारी खुशियां, मैं और मेरा दिल। यह घरौंदा है मेरा।

मुझे याद है मेरा पहली बार खुलती पलकों से उस अनजाने से नीम के तिनकों की बारीकियों से बुने घरौंदे को देखकर अपने पंखों को फड़फड़ाना, पहली बार चहचहाना, उस घरौंदे में लड़खड़ाते चार कदम चलना।

मुझे याद है, घरौंदे के तिनकों के बीच से आती सर्द हवा से मेरे पंखों का खुलना और उनमें हवा भरकर उड़ने की चाह रखना।

इससे मेरा ओर मेरा इससे रूबरू होना याद है मुझे

समय बीता मेरी उड़ान और भी ऊंची हुई। इसके बाहर की दुनिया की खूबसूरती ने मुझे मोहने की भरजोर कोशिशें की, लेकिन इसका एहसास है कि ढलती शाम मुझे उस ओर खुद ब खुद ले जाती है।

थक हार कर घरौंदे में वापस आना और जैसे उसका आंचल फैलाना, बस बिखर जाती हूं उनके तिनकों पर।

लगता है कि इसके आंचल में सिमट कर बेफिक्र सो जाऊं।

ये है कि इसने मुझे कहीं जाने नहीं दिया और न मैंने जाना चाहा।

यह घरौंदा और भी प्यारा हो गया जब मेरे बच्चों की चहचहाट इस घरौंदे की दीवारों से टकराकर सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैंने इसे और भी खूबसूरत बनाया। नीम के तिनकों से इसे बारीकी से संजोया।.....

आज की रात की खामोशी कुछ अजीब है। मानो की रात के अंधेरे को रात ने ही घेरा हो। न आसमान में तारे हैं और न ज़मीन पर जुगनू।

अजीब सी घबराहट बार बार मेरे दिल पर आहट कर रही है।

इस घरौंदे में मैंने पहली बार अनजाने डर को महसूस किया है।

सायं सायं करती हवा ने मेरी खामोशी को तोड़ा, देखा तो धीरे धीरे बढ़ती हवा की रफ्तार और उससे झूमती नीम की डालियां। बढ़ती हवा मेरे घरौंदे की दरारों से मुझे झकझोर रही है। मानो मुझे चेतावनी दे रही हो। अचानक से कड़कती बिजली और उसकी चमक से आसमान में बादलों के विक्राल रूप ने जब गर्जना की तो पूरा जंगल सिहर गया। सबकी धड़कन जैसे सहसा थम गई हों।

अगले ही पल मैंने अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को समेटा, उनकी सहमी और धीमी पुकार ने मेरी पकड़ को और मजबूत कर दिया। फिर मूसलाधार बारिश और काल से तूफान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। जैसे पल भर में कायनात को उजाड़ देना चाहता हो। उस तूफान के आगे डगमगाता नीम, हिलोरे लेती उसकी डालियां, जिस पर बना मेरा आशियाना, उसमें मैं और मेरी पंखों में सिमटे मेरे बच्चे तूफान का सामना करने की कोशिश कर रहे थे।

दामिनी से चकाचौंध जंगल में भी अब मुझे अंधकार नज़र आ रहा था।

प्रचंड तूफान, मूसलाधार बारिश, और ओलों की मार से मेरा घरौंदा और मेरी हिम्मत दोनों जवाब दे रहे थे।

मुझे मेरा अतीत, आज और भविष्य सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था।

हकीकत सामने थी, मेरे आंचल में सिमटे बच्चों की खामोशी, उनकी सहमी - सहमी सी सरसराहट सब कुछ बयां कर रही थी।

न वो मुझे छोड़ना चाहते थे और न मैं इस घरौंदे को।

फिर एक जोरदार झटका, और नीम की चढ़चढ़ाहट के साथ कमजोर पड़ती जड़ों ने जवाब दे दिया। एक पल में मानो सब थम गया।

अब तूफान, बारिश, ओलों की मार सब शिथिल लगने लगा।

नीम के साथ साथ गिरता घरौंदा, मेरी गिरती हुई यादें और मेरे पंखों में सिमटे हुए मेरे बच्चे - सब एक साथ धड़ाम से जमीं पर टकराए। घरौंदे के तिनके टूट कर बिखर गए, बिखर गए मेरे पंख और पंखों की ओट में सिमटे खामोश मेरे बच्चे, जैसे अब भी मेरे आंचल में महफूज हों।

सब कुछ बिखर गया। बावजूद इसके सब कुछ अपनी जगह पर था। नीम का पेड़ पर जमीन पर पड़ा हुआ, घरौंदा पर बिखरा हुआ, मेरे बच्चे पर बेजान। मेरी धीरे - धीरे छूटती हर सांस ने मुझे मेरे अतीत से आज तक रूबरू करवाया। इन चंद सांसों में मैंने खुद को फिर से जी लिया। अब कुछ और बाकी भी तो न था। न सांस और न आस।

दूसरी आखिरी सांस में मेरे आंचल ने मेरे बच्चों को समेटा हुआ था। आखिरी सांस ने बिखरे घरौंदे ने मुझे।

उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, अब भी वह मेरे साथ था।

ऐसा था मेरा घरौंदा.....

सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद (नामपल्ली) रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए.

भारत सरकार के कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 5 मार्च, 2026 को हैदराबाद (नामपल्ली) रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया. उनके साथ दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्टेशन बिल्डिंग, बेसमेंट पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया और सुरक्षा उपायों सहित निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की.



यात्री सेवा को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर एटिकेट (ग्राहक शिष्टाचार) सेमिनार:

दिनांक 24.03.2026 को सिकंदराबाद मंडल द्वारा मंडल कार्यालय में फ्रंटलाइन वाणिज्य कर्मचारियों के लिए एक कस्टमर एटिकेट (ग्राहक शिष्टाचार) सेमिनार आयोजित किया गया. कॉर्पोरेट ट्रेनर श्री तनिकेला रामकृष्ण ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन और सर्विस एक्सीलेंस (सेवा में उत्कृष्टता) पर एक ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किया. मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद डॉ. आर. गोपालकृष्णन ने सत्र का उद्घाटन किया और प्रोफेशनल एक्सीलेंस पर प्रतिभागियों को संबोधित किया. इसके उपरांत, मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन, वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में, उन्होंने यात्रियों की बेहतरीन देखभाल के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों को मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए.



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 2026

10 मार्च को सिकंदराबाद मंडल कार्यालय के हवा महल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया. मंडल रेल प्रबंधक / सिकंदराबाद, डॉ. आर. गोपालकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने महिला सशक्तिकरण तथा समाज और रेलवे में महिलाओं के योगदान पर एक प्रेरणादायक संदेश दिया. दक्षिण मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती संध्या गोपालकृष्णन ने भी सभा को संबोधित किया. बेहतरीन सेवा के लिए कुल 22 महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए 30 महिला कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया.



नागरिक-केंद्रित शासन और विकसित भारत 2047 के लिए 'सेवा संकल्प'

दिनांक 02.03.2026 को सिकंदराबाद मंडल के अधिकारियों ने अपर मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन और अपर मंडल रेल प्रबंधक/इंफ्रा के साथ मिलकर 'सेवा संकल्प' लिया. उन्होंने 'सेवा तीर्थ' को संवेदनशील, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन का एक मॉडल बनाने के अपने संकल्प को दोहराया, जो 'विकसित भारत 2047' के विज़न के अनुरूप है.



सुविचार

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता.

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्रफलाः क्रिया”

जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, वहां देवता निवास करते हैं. जहां पर ऐसा नहीं होता है वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं.

सिकंदराबाद मंडल कार्यालय में हेल्थ चेक-अप कैंप का आयोजन

दिनांक 14 मार्च 2026 को चिकित्सा विभाग, हवामहल, संचालन भवन की ओर से एक हेल्थ चेक-अप कैंप आयोजित किया गया. मंडल रेल प्रबंधक/सिकंदराबाद डॉ. आर. गोपालकृष्णन ने अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.



सिकंदराबाद मंडल में डीआरयूसीसी की बैठक

सिकंदराबाद मंडल की 171वीं मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (डीआरयूसीसी) की बैठक 28 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक ने की और इसमें डीआरयूसीसी के सदस्यों के साथ-साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक/प्रचा, अपर मंडल रेल प्रबंधक/इंफ्रा और सिकंदराबाद मंडल के अन्य शाखा अधिकारी शामिल हुए. मंडल रेल प्रबंधक ने सदस्यों का स्वागत किया और मौजूदा वित्तीय वर्ष में मंडल की उपलब्धियों, चल रही परियोजनाओं और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी दी. सदस्यों ने मंडल द्वारा किए गए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की.

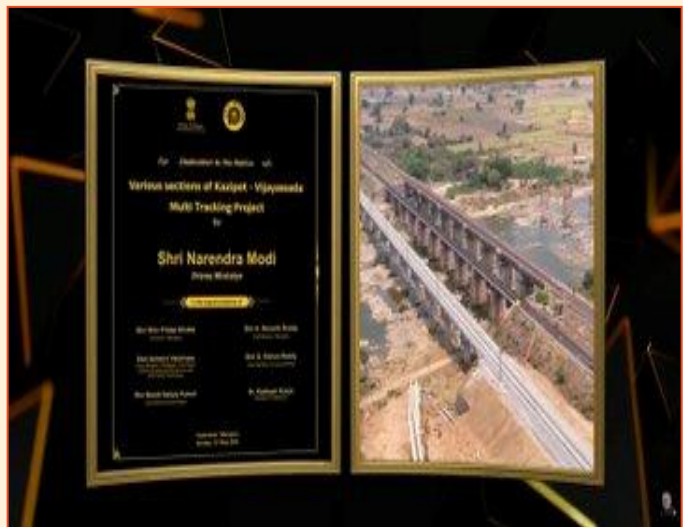


मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पायेगा.

:- स्वामी विवेकानंद

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रेलवे के महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना देश को समर्पित किए:

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को हैदराबाद में तेलंगाना में रेलवे के महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना देश को समर्पित किए. इन परियोजना 118 किलोमीटर का काज़ीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग सेक्शन और ₹292 करोड़ की लागत से बना 21 किलोमीटर का काज़ीपेट रेल-अंडर-रेल बाईपास शामिल है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर भीड़ कम करेंगे, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाएंगे, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और सिकंदराबाद, बल्हारशाह और विजयवाड़ा की दिशा में गाड़ियों की आवागमन को आसान बनाएंगे.



माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने चार्लापल्ली – तिरुचनूर साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाई.

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 17.05.2026 को हैदराबाद के चार्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 17059 चार्लापल्ली – तिरुचनूर साप्ताहिक एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 17060 तिरुचनूर – चार्लापल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई.



"औषधि एक्सप्रेस" की शुरुआत.

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव और कौनकर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय स्वरूप ने 2 मई 2026 को आईसीडी सनतनगर से जेएनपीटी के लिए पहली रेफ्रिजरेटेड कंटेनर ट्रेन "औषधि एक्सप्रेस" को हरी झंडी दिखाई. एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम वाली इस खास रीफर रेक को जीवन रक्षक दवाओं और तापमान के प्रति संवेदनशील सामान को सुरक्षित रूप से लाने-ले जाने के लिए शुरू किया गया है. यह पहल हैदराबाद के कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, फार्मास्युटिकल सप्लाय चेन की क्षमता बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट के समय और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, और पीएम गति शक्ति के तहत टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है.



रेनवाटर हार्वेस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सेमिनार

सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए डिविजनल ऑफिस में पर्यावरण की स्थिरता और रिसोर्स मैनेजमेंट पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड के साइंटिस्ट (हाइड्रो-मेटियोलॉजी) डॉ. पी. किरण कुमार ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण पर लेक्चर दिया, जबकि 'अमूल्य बूंद' की डॉ. आरती बंदारे ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्टेशन की सफाई पर बात की। इस कार्यक्रम से रेलवे में जल संरक्षण, वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण के अनुकूल तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ी.



हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को देय पुरस्कार:- इस योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले एक हिंदी भाषी और एक हिंदीतर भाषी रेल अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार नकद पुरस्कार दिए जाते हैं.

हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार	शब्द सीमा	राशि
क एवं ख क्षेत्र	20,000	5,000/-
ग क्षेत्र	10,000	5,000/-

सिकंदराबाद मंडल में संरक्षा सप्ताह का आयोजन

काम के दौरान संरक्षा के महत्व को दोहराने के लिए मई के पहले सप्ताह (दिनांक 04/05/2026 से 10/05/2026 तक) संरक्षा सप्ताह मनाया गया. संरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे मंडल में अलग-अलग डिपो और सब-डिपो में संरक्षा सेमिनार आयोजित किए गए. कर्मचारियों को ओएच लाइनों और अन्य विद्युत उपकरणों पर काम करते समय विद्युत से जुड़ी संरक्षा सावधानियों का पालन करने के बारे में जानकारी दी गई और डेमो दिखाया गया. दिनांक 06/05/2026 को संचालन भवन परिसर में आग बुझाने हेतु संरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई.



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकंदराबाद मंडल में 17वें रोज़गार मेले का आयोजन किया.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प के साथ 51,000 नए नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए दिनांक 23.05.2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार मेले की शुरुआत की. सिकंदराबाद मंडल ने रेल कलारंग, भोईगुडा में 17वें रोज़गार मेले का आयोजन किया. कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नए नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस कार्यक्रम में द.म.रे के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, सिकंदराबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, डॉ. आर. गोपालकृष्णन और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.



राजभाषा विभाग सिकंदराबाद मंडल द्वारा आयोजित की गई गतिविधियां.

दि.06.03.2026 को भद्राचलम स्टेशन में मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.11.03.2026 को बीदर स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.11.03.2026 को बीदर स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.30.03.2026 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक का आयोजन.

दिनांक 30.03.2026 को सिकंदराबाद मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक डॉ आर.गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक का आयोजन किया गया. मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सिकंदराबाद दर्पण, त्रैमासिक ई.पत्रिका के अंक-VII का विमोचन किया गया. इस बैठक में सिकंदराबाद मंडल के सभी शाखा अधिकारियों ने भाग लिया.



दि.09.04.2026 को सिकंदराबाद स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.10.04.2026 को काजीपेट स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.15.04.2026 को खम्मम स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.17.04.2026 को रामगुंडम स्टेशन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन



दि.25.05.2026 को हैदराबाद स्टेशन में मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन.



दि.25.05.2026 को हैदराबाद स्टेशन में मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की तिमाही बैठक
एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन

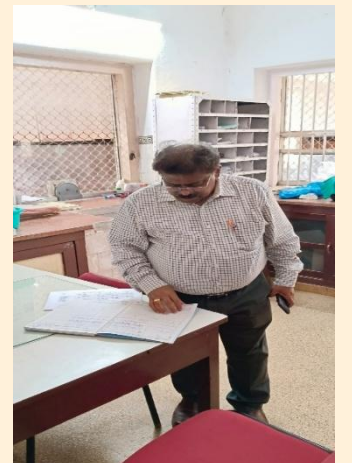


वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद मंडल का निरीक्षण

दि. 11.03.2026 को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकं. द्वारा बीदर स्टेशन का निरीक्षण करते हुए.



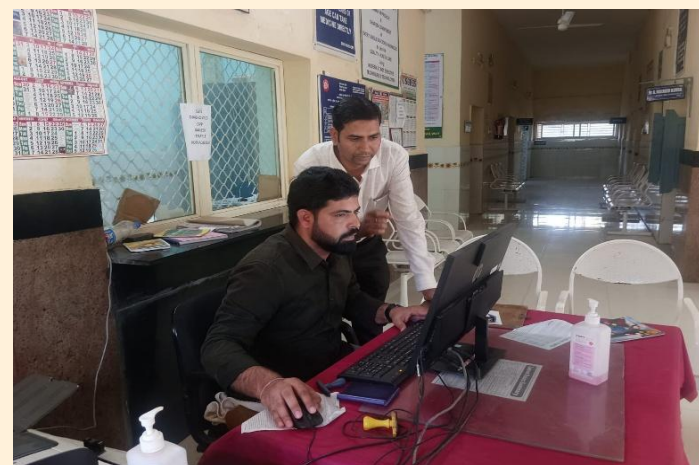
दिनांक 12.03.2026 को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद द्वारा स्वास्थ्य केंद्र/विकाराबाद
में स्थिति हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए.



वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद द्वारा दि.10.04.2026 को काजीपेट स्टेशन तथा 17.04.2026 को रामगुंडम स्टेशन का निरीक्षण करते हुए.



सिकंदराबाद मंडल के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण



दि.06.03.2026 को वसेइंजी कार्यालय / भद्राचलम में हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.

दि.06.03.2026 को स्वास्थ्य केंद्र/भद्राचलम में कर्मचारी को कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए.

कोचिंग डिपो/सिकंदराबाद में कुल 11 कर्मचारियों को हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण देते हुए



राजभाषा नियम

- शुरूआत में संविधान में 14 भाषा थी.
- 21वां संविधान संशोधन 1967 - सिंधी भाषा.
- 71 वें संशोधन 1992- कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली.
- 92 वें संशोधन 2003 - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली.
- भाषा का उल्लेख - 343-351 (भाग XVII).

संविधान की अष्टम अनुसूची के अनुसार भारत की कुल 22 भाषाएं हैं.		
हिंदी		
असमिया	उड़िया	उर्दू
कन्नड़	कश्मीरी	गुजराती
तमिल	तेलुगु	पंजाबी
संस्कृत	मराठी	मलयालम
बंगला	सिंधी	मणिपुरी
नेपाली	कोंकणी	मैथिली
संथाली	बोडो	डोगरी

कम्प्यूटर पर हिंदी इंस्टॉल कैसे करें

- सेटिंग्स: 'Setting' खोलें और 'Time&Language' पर जाएं.
- भाषा जोड़ें: 'Language' विकल्प पर क्लिक करें, फिर 'Add a Language' फिर 'Hindi' सर्च करके इंस्टॉल करें.
- **Hindi Phonetic:** हिंदी भाषा पर क्लिक करके Options में जाएं और Add a keyboard में Hindi phonetic या Hindi Input Tool चुनें.

हिंदी टाइप का उपयोग कैसे करें :

- टास्कबार (नीचे दाई ओर) पर ENG क्लिक करें और Hindi चुनें अथवा Alt+Shift दबाकर Language Option को बदल सकते हैं.
- नीचे दिए गए कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग कर हिंदी में टाइप कर सकते हैं.



अंग्रेजी - हिंदी शब्दावली

अंग्रेजी	हिंदी पर्याय	अंग्रेजी	हिंदी पर्याय
Adhoc	तदर्थ	Settlement	निपटारा
Agenda	कार्यसूची	Souvenir	स्मारिका
Appointment	नियुक्ति	Stipend	वृत्ति
Approval	अनुमोदन	Undesired	अवांछित
Amendment	संशोधन	Valid	विधिमान्य
Correction	सुधार	Violation	अतिक्रमण
Corrigendum	शुद्धिपत्र	Allotment	आवंटन
Defendant	प्रतिवादी	Clarification	स्पष्टीकरण
Eligibility	पात्रता	Compassion	अनुकंपा
Exempt	छूट देना	Compilation	संकलन
Gazette	राजपत्र	Concurrence	सहमति
Grievance	शिकायत	Convenience	सुविधा
Honorarium	मानदेय	Disposal	निपटान
Indent	मांग-पत्र	Gratuity	उपदान
Integrity	सत्यनिष्ठा	Incentive	प्रोत्साहन
Jurisdiction	क्षेत्राधिकार	Ineligible	अपात्र
Memorandum	ज्ञापन	Mediation	मध्यस्थता
Posting	तैनाती	Mutual	पारस्परिक
Privilege	सुविधा	Specified	विनिर्दिष्ट
Personnel	कार्मिक	Verification	सत्यापन
Permission	अनुमति	Lapse	चूक

हिंदी की बिंदी, भारतीय संस्कृति का दर्पण है,
यह हिंदी ही है, जो देश को जोड़े, यह हमारा समर्पण है.
ज्ञान-विज्ञान की भाषा बने, हर दफ्तर में सजे,
राजभाषा की जय हो, यह हमारा ध्येय बने.

विभागीय परीक्षाओं के लिए राजभाषा प्रश्न RAJBHASHA QUESTION FOR DEPARTMENTAL EXAMINATIONS

1.	भारत संघ की राजभाषा क्या है? What is the Official Language of Union of India?
उ/A.	देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी Hindi in Devnagari Script
2.	संसद में संविधान का भाग XVII किस तारीख को पारित हुआ ? On which date Part XVII of the Constitution was passed in Parliament?
उ/A.	14.09.1949
3.	राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ ? When was Official Language Act 1963 passed?
उ/A.	10.05.1963
4.	राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ ? When was Official Language Act 1963 amended?
उ/A.	1967
5.	राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र क्या-क्या है ? What are the three regions classified under Official Language Rules?
उ/A.	क, ख व ग क्षेत्र / A, B & C Regions
6.	हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ? When is Hindi Day celebrated every year?
उ/A.	सितंबर 14/September 14
7.	राजभाषा नियम के अनुसार, अंदमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है ? According to Official Language Rules, under which region Andaman & Nicobar Islands come?
उ/A.	'क' क्षेत्र / Region 'A'
8.	'ख' क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? Which is the only Union Territory classified under Region 'B'?
उ/A.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र / Union Territory of Chandigarh
9.	अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है ? What is the Official Language of Arunachal Pradesh?
उ/A.	अंग्रेजी / English
10.	हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है ? What is the Act passed to give legal form to the assurances given to Non - Hindi speaking people?
उ/A.	राजभाषा (संशोधित) अधिनियम 1967 / Official Language Act (Amended) 1967

11.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई ? From when did the Sec 3(3) of Official Languages Act take effect?
उ/A.	26 जनवरी, 1965 / 26 January, 1965
12.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (IV) किससे संबंधित है ? With which section IV of Official Languages Act 1963 is concerned? .
उ/A.	संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है. It is concerned with the constitution of Parliamentary Committee on Official Language
13.	राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343-351 संविधान के किस भाग में हैं ? In which part of the Constitution are the Articles 343-351 that give information about Official Language available?
उ/A.	भाग XVII- (सत्रहवें भाग) / Part XVII (Seventeenth Part)
14.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किस से है ? With which Section 7 of Official Language Act 1963 is concerned?
उ/A.	उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है. It is concerned with the optional use of Hindi or other Official Language in Judgements in High Courts.
15.	हिंदी नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? Maximum how many Artists can participate in Hindi Drama Competitions?
उ/A.	अधिकतम 15 कलाकार Maximum 15 Artists
16.	रेलवे में राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह कितने निरीक्षण करना अनिवार्य है? How many inspections in a month are mandatory for Rajbhasha Adhikari of Railways?
उ/A.	प्रतिमाह एक निरीक्षण One Inspection per month.
17.	आठवीं अनुसूची में कौन-कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं ? What are the Languages available in the 8 th Schedule?
उ/A.	1. असमिया Assameese 2. बंगला Bengali 3. गुजराती Gujarati 4. हिंदी Hindi 5. कन्नड Kannada 6. कश्मीरी Kashmiri 7. कोंकणी Konkani 8. मलयालम Malayalam 9. मणिपुरी Manipuri 10. मराठी Marathi 11. नेपाली Nepali 12. उड़िया Oriya 13. पंजाबी Punjabi 14. संस्कृत Sanskrit 15. सिंधी Sindhi 16. तमिल Tamil 17. तेलुगु Telugu 18. उर्दू Urdu 19. बोडो Bodo 20. संथाली Santali 21. मैथिली Mythili 22. डोगरी Dogri
18.	'ख' क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए? Please mention the States coming under 'B' region?
उ/A.	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली Gujarat, Maharashtra, Punjab, Union Territory of Chandigarh, Dadra and Diu, Dadra x Nagar Haveli
19.	फिलहाल संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है ? At present how many languages are enlisted in the Eighth Schedule of the constitution?
उ/A.	बाईस / 22

20.	संविधान के भाग-V में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में हैं ? In which article is the provision regarding OL policy available in Part V of the constitution?
उ/A.	अनुच्छेद-120 / Article -120
21.	संविधान की आठवीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? Name the article in which the provision of the Eighth schedule of the constitution is available?
उ/A.	अनुच्छेद 344(1) × 351 / Article-344(1) x 351
22.	राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ ? Why was the OL At 1963 passed?
उ/A.	1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए To use English along with Hindi even after 1965.
23.	राजभाषा नियम कब पारित हुआ? When was the Official Language Rules passed?
उ/A.	1976
24.	संविधान के XVII भाग में कितने अनुच्छेद हैं ? How many articles are there in Part XVII of the Constitution?
उ/A.	नौ / 9
25.	अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई ? In compliance of article 344 when was the Official Language Commission formed?
उ/A.	वर्ष 1955 में In the year 1955
26.	राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ? Who was the First Chairman of the Official Language Commission?
उ/A.	बी.जी.खेर / B.G. Kher
27.	राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the First Chairman of the committee which was formed on the recommendation of the Official Language commission?
उ/A.	जी.बी. पंत / G.B. Pant
28.	संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है ? As per the Constitution, who is translating the statutory rules, regulations and orders?
उ/A.	विधि मंत्रालय Law Ministry
29.	राजभाषा नियम के किस नियम के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी के हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का वर्णन किया गया है? Which Official Language mentions about the Working knowledge of the Officer / Employee?
उ/A.	राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 Rule-10 of Official Language Rule 1976

30.	पार्ट VI में कौन सा अनुच्छेद है ? Which Article comes under Part VI? .
उ/A.	अनुच्छेद 210 / Article 210
31.	वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की ? Who chaired the first Railway Hindi Salahkar Samiti constituted in 1973?
उ/A.	श्री ललित नारायण मिश्र / Sri Lalith Narayan Mishra
32.	वर्ष 1979 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे ? Who was the Chairman of the Parliamentary Committee on Official Language constituted in the year 1976?
उ/A.	तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता The then Home Minister Shri OM Mehta.
33.	संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है ? Which committee of the Parliamentary Committee on Official Language prepares the draft?
उ/A.	संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति. Drafting & Evidence Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language.
34.	राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक पद का सृजन हुआ था ? In which year the post of Hindi Asst. was created in Railway Board in compliance of President's order 1952?
उ/A.	वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में In the General Branch of Railway Board in the year 1952
35.	रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? In which year the Hindi translation of Railway Budget was prepared and who was the Railway Minister ?
उ/A.	वर्ष 1956 में - स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी In the year 1956 - Late Lal Bahadur Shastri
36.	रेलवे बोर्ड में हिंदी (संसद) अनुभाग का गठन कब हुआ था ? In which year Hindi (Parliament) section was established in Railway Board?
उ/A.	वर्ष 1960 में / In the year 1960
37.	क- क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ? What are the States that come under Region +A+ ?
उ/A.	बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और अंदमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र Bihar, Jharkhand, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Andaman & Nicobar island group.

38.	ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? What are the States that come under Region+C+?																
उ/A.	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप, तेलंगाना Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Goa, Jammu x Kashmir, Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Tripura, Mizoram, Manipur, Union Territory of Pondicherry, Lakshadweep, Telangana																
39.	रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी उप समिति करती है ? Which Sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language inspects Railway Ministry?																
उ/A.	दूसरी उप समिति / Second Sub-Committee.																
40.	हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है ? What is the scheme implemented by Railway Board for doing work in Hindi?																
उ/A.	राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना Rajbhasha individual Cash Award Scheme																
41.	प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है ? What is the amount of Award for Passing Prabodh, Praveen x Pragya\ Examinations?																
उ/A.	<table><tr><td></td><td>प्रबोध/Prabodh</td><td>प्रवीण/Praveen</td><td>प्राज्ञ/Pragya</td></tr><tr><td>70 या उससे अधिक अंक / 70 or more marks</td><td>1600/-</td><td>1800/-</td><td>2400/-</td></tr><tr><td>60-69 अंक/marks</td><td>800/-</td><td>1200/-</td><td>1600/-</td></tr><tr><td>55-59 अंक/marks</td><td>400/-</td><td>600/-</td><td>800/-</td></tr></table>		प्रबोध/Prabodh	प्रवीण/Praveen	प्राज्ञ/Pragya	70 या उससे अधिक अंक / 70 or more marks	1600/-	1800/-	2400/-	60-69 अंक/marks	800/-	1200/-	1600/-	55-59 अंक/marks	400/-	600/-	800/-
	प्रबोध/Prabodh	प्रवीण/Praveen	प्राज्ञ/Pragya														
70 या उससे अधिक अंक / 70 or more marks	1600/-	1800/-	2400/-														
60-69 अंक/marks	800/-	1200/-	1600/-														
55-59 अंक/marks	400/-	600/-	800/-														
42.	राजभाषा विभाग से संबद्ध रा.भा.का.स का पूर्ण रूप क्या है? What is the expansion for OLIC used by Dept. of Official Language?																
उ/A.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति Official Language Implementation Committee																
43.	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? How many Hindi courses are prescribed for Central Govt. Employees?																
उ/A.	चार / Four																
44.	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? Which is the elementary Hindi course prescribed for Central Govt. employee																
उ/A.	प्रबोध/Prabodh																

45.	केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं ? Who is the Chairman of Central Hindi Committee?
उ/A.	प्रधानमंत्री / Prime Minister
46.	संबंधित मंत्रालय/विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है ? Which committee reviews the progress made in the propagation of Hindi in particular Ministry/Department ?
उ/A.	हिंदी सलाहकार समिति Hindi Salahkar Samiti
47.	वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ ? When was the present Parliamentary Committee on Official Language constituted?
उ/A.	जनवरी, 1976 January, 1976
48.	राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं ? How many members are there in the Committee of Parliamentary on Official Language?
उ/A.	30
49.	संसदीय राजभाषा समिति में लोक सभा के कितने सदस्य होते हैं ? How many Lok Sabha members will be there in the Committee of Parliamentary on Official Language?
उ/A.	20
50.	फिलहाल, राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप-समितियां हैं ? At present, how many Sub-Committees are there in the Parliamentary Committee on Official Language?
उ/A.	03 उप समिति / 3 Sub-Committees

	निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल - भारतेन्दु हरिश्चंद्र
"यह समाचार पत्रिका सिकंदराबाद मंडल की गतिविधियों को राजभाषा में साझा करने हेतु प्रकाशित की जा रही है".	

